भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1282

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

1282. श्री सौमित्र खान:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसी भी स्रोत से उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि की वर्ष-वार और योजना-वार मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड.): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, विष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को तीन कार्यक्षेत्रों में सम्मलित कर दिया गया है, अर्थात (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। स्कीम का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिये कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। यह जीवन-चक्र निरंतरता आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करके और अभिसरण और नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से उन्हें राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर "महिला आधारित विकास" के लिए सरकार की

प्रतिबद्धता को साकार करना चाहता है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन, अंतिम छोर ट्रैकिंग और जन भागीदारी को सुदृढ़ करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों की अधिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देना चाहता है।

मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः दो उप-स्कीमों 'संबल' और 'सामर्थ्य' से मिलकर बना हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीमों को संबल उप-स्कीम का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है) ,कामकाजी महिला छात्रावास (नया नाम सखी निवास दिया गया है), राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम (जिसका नाम बदलकर पालना रखा गया है) की मौजूदा स्कीमों को ' सामर्थ्य ' में मिला दिया गया है और केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं की स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के साथ आर्थिक सशक्तिकरण अर्थात महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक सामर्थ्य स्कीम में जोड़ा गया है जिससे ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। एचईडब्ल्यू के अंतर्गत सहायता में स्वास्थ्य देखरेख तक पहुँच, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, कामगारों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और देशभर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर डिजिटल साक्षरता सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं में महिलाओं का मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंडहोल्डिंग का प्रावधान है।

पश्चिम बंगाल राज्य मिशन शक्ति की उप-स्कीमें संबल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) घटक और सामर्थ्य के पालना, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) घटक कार्यान्वित नहीं किया जाता हैं। अत विष्णुपुर संसदीय क्षेत्र में इन स्कीमों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है: (i) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (3-6 वर्ष) और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने मिशन मोड में देखरेख के जरूरतमंद बच्चों के बेहतर आउटरीच और संरक्षण के लिए एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को सम्मलित किया है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों का समर्थन और पोषण (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) यदि आवश्यक हो तो गैप फंडिंग द्वारा सीमेंट कन्वर्जेंट एक्शन।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी निधियां जारी की जाती हैं। पीएमएमवीवाई, शक्ति सदन और ओएससी के लिए क्रमशः 445.35 करोड़ रुपये, 7.20 करोड़ रुपये और ओएससी के लिए 5.50 करोड़ रुपये की धनराशि बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 तक ओएससी के लिए निधियां सीधे जिलों को जारी की गई थी। बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र के बांकुड़ा जिले को 28.41 लाख रुपये और पूर्व बर्धमान जिले को 28.41 लाख रुपये जारी किए गए थे।

*****

अनुलग्नक-I

'महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं' विषय पर श्री सौमित्र खान द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र में स्कीम के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या

1. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0 के तहत)

संसदीय क्षेत्र*	**जिला**	लाभार्थियों की सं. (05.02.2024 तक)				
		बच्चे (0 - 6m)	बच्चे (6m - 3y)	बच्चे (3y - 6y)	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं
बिष्णुपुर	बांकुड़ा	16787	119356	141779	22135	18802
	पूर्व बर्धमान	20914	155378	190329	24467	21070

2. मिशन शक्ति के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)।

संसदीय क्षेत्र*	**जिला**	**लाभार्थियों की संख्या (31.10.2023 तक)**
बिष्णुपुर	बांकुड़ा	84908
	पूर्व बर्धमान	105549

* पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिलों के मानचित्रण की सूचना प्राप्त की गई है

*****